

मीरसिंह बनाम इन्द्रावती वगै०  
मु०नं० 214 / 2022  
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक - 10.06.2025 को वाद वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम डुलानियां तहसील पिलानी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 812/610 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 965/812 रकबा 0.14 है०, ख०न० 966/812 रकबा 0.34 है० भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.05.2025 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(सुमन देवी / आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:-214/2022  
मीरसिंह बनाम इन्द्रावती वगै०  
निर्णय दिनांक:- 10.06.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू  
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)

मु०न० 214/2022  
निर्णय दिनांक:- 10.06.2025

मीरसिंह बनाम इन्द्रावती वगै०  
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निवेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 10.06.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम डुलानियां तहसील पिलानी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 812/610 रकबा 0.14 है, खसरा नम्बर 965/812 रकबा 0.14 है, ख०न० 966/812 रकबा 0.34 है। भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.05.2025 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

यह आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ